



BCCI BULLETIN

Vol. 54

MARCH 2023

No. 3

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल, बिहार से मिला



महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जी का पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर जी से दिनांक 3 मार्च 2023 को राजभवन में मिलकर उनका अभिनन्दन किया। प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राज्यपाल से राज्य के उद्योग एवं

व्यापार से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता शामिल थे।

बिहार को भी मिले एक पीएम मित्र मेंगा टेक्सटाइल पार्क



बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व केन्द्रीय वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध किया है कि औद्योगिक रूप से पिछले बिहार को भी एक पीएम मित्र मेंगा टेक्सटाइल पार्क का आवंटन किया जाये।

चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग व निर्यात का वैश्विक हब बनाने के लिए सात राज्यों में पीएम मित्र मेंगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा सराहनीय है। केन्द्रीय बजट 2021-2022 में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा से बिहार वासियों विशेषकर राज्य के उद्यमी व व्यापारी आशान्वित थे कि बिहार को भी एक पीएम मित्र मेंगा टेक्सटाइल पार्क अवश्य मिलेगा, लेकिन पिछले दिनों केन्द्र सरकार की ओर से इस संबंध हुई घोषणा से निराशा हुई है। टेक्सटाइल पार्क में धारे से कपड़ा तैयार करने, कपड़ों की रंगाई, सिलाई आदि से लेकर इनकी पैकिंग एवं ट्रांसपोर्टिंग तक के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जरूरत पड़ती है। इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं। अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ से भी अनुरोध किया गया है कि उक्त विषय पर अपने स्तर से भी केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाये।

(साभार : प्रभात खबर, 21.3.2023)

राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं पर बिजली की बढ़ी दरों के भार के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी की घोषणा स्वागत योग्य – चैम्बर

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-2024 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में की गई वृद्धि के आलोक में सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को की गयी सब्सिडी की घोषणा का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उर्जा मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव एवं माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ के प्रति आभार व्यक्त किया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी० के० अग्रवाल ने बताया कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए विद्युत टैरिफ में वृद्धि के साथ-साथ फिरकड़ चार्ज में भी वृद्धि किए जाने से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी काफी चिंतित थे। उन्होंने आगे बताया कि C<\$/>q nj kdsl eakeopfcj dslrj l syxkj ekuh ej; eaH ekuh mi ej; eaH ekuh mt kzeaj ekuh m k ekH ej; l fpo] fodk v k q] vi j ej; l fpo] m k foHkk , oai zku l fpo] mt kzf0Hkk] fcgkj dsl skl E dZdj vuujkfd; kt k j gkFkfd bl of) dksok l fy; kt k vU Fkkbl dki f d y 'ksik "B 3 ij



अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा दिनांक 23.3.2023 को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बिजली की दरों में फिकस्ड चार्ज को लगभग दोगुणा एवं प्रति युनिट चार्ज में लगभग 24% की वृद्धि की घोषणा कर दी गयी है जो राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों के लिए गहरी चिंता का विषय हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उपभोक्ताओं की ओर से किये गये अनुरोध को आयोग ने खारिज कर दिया है।

बिहार में बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा पूर्व से ही अधिक थीं, जिसके लिए चैम्बर बराबर सरकार से बिजली की दरों को कम करने का अनुरोध करता रहा है। उस पर बिजली की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के उद्योगों पर पड़ना संभावित था।

चैम्बर द्वारा बिजली दरों में अप्रत्याशित वृद्धि के आलोक में लगातार माननीय मुख्यमंत्री माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय उर्जा मंत्री, माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, उर्जा विभाग के प्रधान सचिव से सम्पर्क कर अनुरोध किया जा रहा था कि बिजली की दरों में वृद्धि को वर्तमान उद्योगों और नये निवेशकों के हित में वापस लिया जाये।

हमारे लिए खुशी की बात है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2023–24 के लिए बिजली की दरों में की गई वृद्धि के आलोक में राज्य सरकार ने दिनांक 31 मार्च 2023 को सबिसडी की घोषणा कर दी है। चैम्बर ने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय उर्जा मंत्री एवं माननीय उद्योग मंत्री के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।

दिनांक 31 मार्च 2023 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ से मिलकर बढ़े हुए विद्युत टैरिफ के आलोक में सरकार द्वारा दी गयी सबिसडी की घोषणा हेतु राज्य के समस्त उद्यमियों एवं व्यापारियों की ओर से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया। प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उद्योग उप-समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर सम्मिलित थे।

भारत को टेक्स्टाइल मैन्यूफैक्चरिंग व निर्यात का वैशिक हब

बनाने के लिए सात राज्यों में पीएम मित्र मेंगा टेक्स्टाइल पार्क बनाने की घोषणा सराहनीय है। परन्तु बिहार को इसमें शामिल नहीं किया जाना, बिहारवासियों के लिए निराशाजनक है। इसके लिए चैम्बर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व कन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्री पियूष गोयल से अनुरोध किया गया है कि औद्योगिक रूप से पिछड़े बिहार को भी एक पीएम मित्र मेंगा टेक्स्टाइल पार्क का आबंटन किया जाये। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ से भी अनुरोध किया गया है कि इस संबंध में अपने स्तर से भी केन्द्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाये।

गत वर्ष की भार्ती दिनांक 4 मार्च 2023 को चैम्बर में “होली मिलन समारोह” काफी हर्षाल्लास सहित मनाया गया। इस समारोह में माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय विधायक श्री नितीन नवीन, श्री संजीव चौरसिया, श्री नन्द किशोर यादव एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा, विधान परिषद् सदस्य माननीय श्री ललन कुमार सराफ, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू, केन्द्र एवं राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारीगण समिलित हुए। इस आयोजन को सफल बनाने में होली मिलन समारोह आयोजन समिति के संयोजक, सह-संयोजक एवं सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साथ ही चैम्बर के सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी सपरिवार सहभागिता से समारोह भव्यता के साथ सम्पन्न हुआ। संक्षिप्त रिपोर्ट इसी बुलेटिन में प्रकाशित है।

चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 3 मार्च 2023 को महामहिम राज्यपाल, बिहार श्री राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेंकर से राजभवन में मिलकर उनका अभिनन्दन किया साथ ही उद्योग व्यापार के संबंध में विचार-विमर्श भी किया।

03 मार्च 2023 को ही चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल श्री अरुणीश चावला, अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार से मिलकर उनका अभिनन्दन किया एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विमर्श भी किया।

मैंने श्री आर. एस. भट्टी, भा.पु.से., पुलिस महानिदेशक, बिहार से दिनांक 01 मार्च 2023 को मिलकर उनका अभिनन्दन किया एवं विधि-व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विमर्श भी किया।

भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ चैम्बर में दिनांक 6 मार्च एवं 28 मार्च 2023 को बैठकें हुईं। संबंधित रिपोर्ट इसी बुलेटिन में सदस्यों की सूचनार्थ प्रकाशित है।

बन्धुओं को रोना पुनः पांच पसार रहा है। अतः सतर्क रहें, सावधान रहें। मास्क का प्रयोग करें।

सादर!

आपका
पी. के. अग्रवाल
अध्यक्ष

विद्युत दरों में अप्रत्याशित वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव उद्योगों पर पड़ेगा : पी. के. अग्रवाल

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 23.03.2023 को बिहार विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए घोषित विद्युत टैरिफ में अप्रत्याशित वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा कि इससे वर्तमान बिजली बिल में डेढ़ गुनी वृद्धि हो जायेगी। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा कि बिहार में पहले से ही उद्योगों के लिए बिजली की दरें पड़ोसी राज्यों की तुलना में अधिक थीं, जिसके लिए चैम्बर बराबर अनुरोध कर रहा था कि राज्य में विद्युत की दरों को कम किया जाये। विद्युत दरों में इस प्रकार की अप्रत्याशित वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव यहाँ के उद्योगों पर पड़ेगा और जो



चैम्बर अध्यक्ष का पुलिस महानिदेशक, बिहार के साथ विचार-विमर्श



पुलिस महानिदेशक, बिहार श्री आर. एस. भट्टी, भा.पु.से. का पुष्पगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने दिनांक 1 मार्च 2023 को बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर. एस. भट्टी, भा.पु.से. से मिलकर उनका अभिनन्दन किया।

चैम्बर अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक से विधि-व्यवस्था संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श भी किया।

प्रत्येक राज्य में बनेगा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण

जीएसटी के संबंध में विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है।

एक अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो तकनीकी सदस्य (केन्द्र और राज्यों से एक-एक अधिकारी) और दो न्यायिक सदस्य होंगे। दो सदस्यों वाली एक खंडपीठ (एक तकनीकी और एक न्यायिक) अपीलों पर फैसला करेगी। अधिकारी ने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राज्य अपीलीय न्यायाधिकरण में दो खंडपीठ होंगी और इस तरह ये अधिक अपीलों से निपटने में सक्षम होंगी। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्रीय अपीलीय न्यायाधिकरण भी होगा, जिसे दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य होंगे। (सा.: दैनिक जागरण, 16.3.2023)

| "B 1 dk' k

i hko j k; d sor žku m̄ k̄kai j r̄ki M̄k ḡhl k̄k ḡhj k; ea u; sfuošk̄d k̄d sh̄hv k̄sešd ehḡk̄s̄d hl̄ k̄loukḡA

श्री अग्रवाल ने कहा कि अब बढ़े विद्युत टैरिफ के सामंजस्य के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई सब्सिडी की घोषणा से राज्य के उद्यमियों एवं व्यापारियों को काफी राहत मिली है। साथ ही नये निवेशक भी राज्य में अपना उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे।

J hv x̄k̄y uscr k̄ kfd or žku eſfcḡk̄ eſm̄ k̄k ad kr \$ x̄fr I ſfod k̄ ḡks̄l dſfy, I j d̄k̄ d̄hv̄k̄ I st̄ k̄sn̄k̄ i z k̄ py j ḡk̄ ḡSv̄k̄ v̄kt fd, x, bl̄ , ſ̄ḡk̄i d ?k̄k̄ k̄d k̄H̄n̄ I d̄k̄ R̄ed i f̄. k̄e I keusv̄k̄ xKA

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल द्वारा माननीय उद्योग मंत्री का धन्यवाद ज्ञापन



माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ का धन्यवाद ज्ञापित करते चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल।

दिनांक 31 मार्च, 2023 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ से उनके कार्यालय कक्ष में मिला एवं बढ़े विद्युत टैरिफ के आलोक में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी की घोषणा के लिए राज्य के समस्त उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, उद्योग उप-समिति के संयोजक श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष शंकर समिलित थे।

एक अप्रैल से गहनों पर अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग अनिवार्य

- साल 2000 में शुरू हुई थी देश में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग
- अभी देश में हर दिन की जा रही है तीन लाख से ज्यादा हॉलमार्किंग
- देश के 256 जिलों में 940 हॉलमार्किंग सेंटर्स कर रहे हैं काम

सरकार एक अप्रैल से गोल्ड हॉलमार्किंग से जुड़े नियम बदलने जा रही है। एक अप्रैल से सोने के आभूषणों पर छह डिजिट का अल्फान्यूमेरिक एच्यूआइडी (हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन) जरूरी होगा। अल्फान्यूमेरिक एच्यूआइडी के बिना सोने के आभूषणों की बिक्री की इजाजत नहीं होगी।

उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी से बचाने और देश भर में सोने की क्वालिटी को एक समान बनाने के लिए सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया है। इस अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग में अक्षरों और अंकों दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। अल्फान्यूमेरिक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से ग्राहक यह जान सकेंगे कि आभूषण किस ज्वेलर्स के वहाँ बनी है। साथ ही, हॉलमार्किंग सेंटर का भी पता लगा सकेंगे। नये नियमों के अनुसार यदि आभूषण या 14, 18, या 22 कैरेट सोने से बना कोई भी उत्पाद बिना अल्फान्यूमेरिक एच्यूआइडी के बेची जाती है, तो ज्वेलर को उसकी कीमत की तुलना में पाँच गुना या एक साल तक की कैद हो सकती है।

अभी हॉलमार्किंग में होते हैं चार चिह्न :

- बीआइएस का लोगो
- कैरेट में सोने की शुद्धता
- हॉलमार्क करने वाले सेंटर का आइडेंटिफिकेशन मार्क
- ज्वेलर्स का लोगो/कोड

बीआइएस का ऐप करेगा शुद्धता का परीक्षण : ब्लू ऑफ इंडियन स्टैडर्ड्स (बीआइएस) का बीआइएस केराय ऐप सोने के आभूषणों की शुद्धता के परीक्षण में मदद करेगा। ऐप में आपको आभूषण पर दिये गये अल्फान्यूमेरिक एच्यूआइडी कोड डालना होगा। इसके बाद आपको ज्वेलर्स का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉलमार्किंग सेंटर का नाम हॉलमार्किंग सेंटर का पता, हॉलमार्किंग की तारीख और आभूषण की शुद्धता का पता लग जायेगा।

(विस्तृत : प्रभात खबर, 18.3.2023)



चैम्बर प्रतिनिधिमंडल का अपर मुख्य सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के साथ विचार-विमर्श



नगर विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरुणीश चावला, का पृष्ठगुच्छ से अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में साथ में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में दिनांक 3 मार्च 2023 को नगर विकास एवं आवास विभाग में नव पद पर आये अपर मुख्य सचिव, श्री अरुणीश चावला से मिलकर उनका अभिनन्दन किया एवं नगर विकास एवं

आवास विभाग से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श भी किया।

प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री अजय गुप्ता।

557 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मिली प्रारंभिक हरी झंडी

बिहार राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद की 46वीं बैठक में 60 निवेश प्रस्तावों को 557 करोड़ के निवेश को प्रारंभिक झंडी दी गयी है। यह सभी प्रस्ताव दो करोड़ से अधिक के हैं। इनमें सर्वाधिक 122 करोड़ के निवेश प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के हैं। इसके अतिरिक्त इस बैठक में 13 प्रस्तावों को वित्तीय इंसेटिव क्लियरेंस भी दी गयी। इसके तहत 214.44 करोड़ का निवेश किया जाना है।

दरअसल बैंकों ने इनके लिए वित्तीय सुविधा, मदद और कर्ज उपलब्ध कराने की रजामंदी दे दी है। बिहार निवेश प्रोत्साहन परिषद की यह बैठक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में भीते दिनों हुई है। अधिकारिक जानकारी के मुताबिक राज्य के औद्योगिक इकाइयों की स्थिति मानचित्र पर अंकित करने के लिए कहा गया। साथ ही इंडस्ट्रियल शोडो जोन को चिह्नित करने के निर्देश भी दिये गये हैं। 60 निवेश प्रस्तावों में 18 यूनिट राइस मिलों की स्थापना के हैं। यह सब यूनिट उसना चावल बनाने के लिए हैं। (विस्तृत : प्रभात खबर, 20.3.2023)

एमएसएमई का दोगुनी रफ्तार से विस्तार

कोरोना महामारी और वैश्विक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज (एमएसएमई) का विस्तार तेजी से हो रहा है। वित्त मंत्रालय की मासिक रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक वर्ष में माइक्रों से स्माल की श्रेणी में आने वाली यूनिटों की संख्या 28,881 थी, जो चालू वित्त वर्ष 2022-23 में गत छह मार्च तक 65,140 तक पहुँच गई। मंत्रालय के मुताबिक, माइक्रो से स्माल बनाने वाली यूनिट में अधिकतर यूनिट कम विकसित

राज्यों की हैं। इन राज्यों में बिहार, असम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश और ओडिशा प्रमुख रूप से शामिल हैं। वैसे ही, वित्त वर्ष 2021-22 में स्माल से मीडियम बनाने वाली यूनिट की संख्या 3,699 थी, जो चालू वित्त वर्ष में छह मार्च तक 6,474 तक पहुँच गई। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु और कर्नाटक स्थित स्माल यूनिटों ने मीडियम श्रेणी में छलांग लगाई है। चालू वित्त वर्ष में माइक्रो से स्माल बनाने वाली 53 प्रतिशत यूनिट मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर की हैं। मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में एमएसएमई का विस्तार होने से रोजगार सृजन में बढ़ोत्तरी होगी।

एमएसएमई का वर्गीकरण

माइक्रो : प्लाट और मशीनरी में एक करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए और सालाना टर्नओवर पॉइंच करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए।

स्माल : प्लाट व मशीनरी में 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए और सालाना टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए।

मीडियम : प्लाट और मशीनरी में 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होना चाहिए और सालाना टर्नओवर 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

(साभार : दैनिक जागरण, 22.3.2023)

अधिसूचना


जीएसटी में संशोधन से संबंधित वाणिज्य-कर विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या एस.ओ.-108, 109, 110 एवं 111 दिनांक 28 फरवरी, 2023 की प्रति सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जा चुकी है। अगर नहीं मिली हो तो चैम्बर से सम्पर्क करें।

अधिसूचना

उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या 5/स. बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र) 09/2022/137 दिनांक 6 जनवरी 2023 में बियाडा, पटना के पत्रांक 38/L, 39/L, दिनांक 3 जनवरी 2023 द्वारा अनुशासित क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है प्रति सदस्यों को सूचनार्थ भेजी जा चुकी है। अगर नहीं मिली हो तो चैम्बर से सम्पर्क करें।



भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के साथ चैम्बर की बैठक



बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 मार्च 2023 को भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी श्री शत्रुघ्न सिंहा, मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-II के क्रम में चैम्बर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ भेंट वार्ता की। उनके साथ श्री के. के. राय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र पटना भी उपस्थित थे। इस बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के.

जीएसटी संग्रह में तेजी का सिलसिला जारी

फरवरी में वसूले गए 1,49,577 करोड़

फरवरी महीने में जीएसटी संग्रह 1,49,577 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल फरवरी के मुकाबले 12 प्रतिशत अधिक है। पिछले साल फरवरी में 1.33 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। इस साल जनवरी में जीएसटी संग्रह 1.58 लाख करोड़ रुपये हुआ था। चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से लेकर फरवरी तक के सभी महीनों में जीएसटी संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 2.3.2023)

बिहार में सीडी रेशियो बढ़ कर 54 प्रतिशत, फिर भी राष्ट्रीय औसत से पीछे

बैंकों ने बिहार के लोगों को ऋण देने में थोड़ी उदारता बरती है। नतीजतन पहली बार राज्य का साख-जमा अनुपात बढ़कर 54.25% हो गया है, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत 75% की तुलना में लगभग 21% कम है। दिसम्बर 2021 में यह 50.18% थी, अगर इस अवधि में औसत देखें तो इसमें 4.07% की वृद्धि राज्य में हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे रहने



से नाराजगी जाहिर की। राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) 83वीं और 84वीं संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुये वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जहाँ ऋण देने में लापरवाही बरतने वाले बैंकों को चेताया, वहीं अच्छा काम करने वाले बैंकों को सराहा भी। कहा कि बैंक ईमानदारी और सक्रियता से काम करे तभी परिवर्तन आयेगा। उन्होंने कहा कि एसएलबीसी की बैठक केवल रस्म अदायगी के लिए नहीं होती है। बैंक को सरकार से जिस तरह की सहयोग की जरूरत है, सरकार देने को तैयार है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार की तरफ से बैंकों को हर बार सहयोग दीजिए जो ये चाहें, लेकिन बैंकों को भी अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी।

बिहार के बजट से ज्यादा बैंकों को कर्ज बांटने का टारगेट : नाबार्ड ने सरकार से सलाह मशाविरा करके वित्तीय वर्ष 2023-24 में बैंकों के लिए वार्षिक साख योजना (एसपी) का लक्ष्य 2.63 लाख करोड़ निर्धारित किया है। जो राज्य के कुल बजट 2.61 लाख करोड़ से भी अधिक है। इस तरह अगले वित्तीय वर्ष में राज्य में करीब 5.25 लाख करोड़ वित्त प्रवाह होने का अनुमान है।



चैम्बर के महामंत्री के स्वास्थ्य में सुधार



12 मार्च 2023 को श्री प्रदीप जैन सड़क पार कर रहे थे। पीछे से श्री अमित मुखर्जी, महामंत्री, बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने आवाज दी “चलो तुम्हें घर छोड़ देते हैं।”

बिमारी के बाद श्री मुखर्जी को गाड़ी चलाते, उनके स्वास्थ्य में सुधार एवं उनके हौसले को देखकर श्री प्रदीप जैन काफी प्रभावित हुए एवं उन्हें काफी खुशी भी हुई।

पिछले छह साल में 10% बढ़ा साख जमा अनुपात

वर्ष	जमा	कर्ज	सीडी अनुपात प्रशित (%)
2017-18	312829	141967	45.38
2018-19	345234	152213	44.09
2019-20	371783	159987	43.03
2020-21	396471	183973	46.40
2021-22	431417	228480	52.96
2022-23	441280	239389	54.25

[जमा और कर्ज के आंकड़े (31 दिसम्बर तक) करोड़ रुपये में]

बैंकों ने 239389 करोड़ के कर्ज बांटे : वित्तीय वर्ष 2022-23 के तीसरे तिमाही के अंत में (31 दिसम्बर) तक राज्य के लोगों ने बैंक में 441280 करोड़ जमा किये व बैंकों ने 239389 करोड़ रुपये बांटे। बैंक में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, प्रधान सचिव संदीप पौड़िक, आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल, एसबीआइ के सीजीएम ओम दीक्षित व नाबार्ड के सीजीएम डा. सुनील कुमार आदि मौजूद थे। (सामार : प्रभात खबर, 5.3.2023)

विद्युत क्षति 15 प्रतिशत पर लाने के लिए खर्च होंगे 649 करोड़

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड रीवैंप्ट रीफार्म्स बेस्ट एंड रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत पटना जिले में विद्युत क्षति को 15 प्रतिशत पर लाने के लिए 649 करोड़ रुपये खर्च करेगी। पटना विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठान के दोनों आपूर्ति प्रमंडलों में 20 प्रतिशत तथा पटना अंचल (ग्रामीण क्षेत्र) में 34 प्रतिशत विद्युत क्षति हो रही है। पेसू क्षेत्र में विद्युत संरचना में सुधार के लिए 312 करोड़ रुपये तथा पटना अंचल (ग्रामीण क्षेत्र) के लिए 337 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है। दोनों क्षेत्र में एजेंसियों को कार्य सौंप दिया गया है। 30 माह में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रख गया है। इस योजना के माध्यम से निर्बाध रूप से गुणवत्तायुक्त बिजली उपलब्ध करानी है। फीडरों को छोटा-छोटा किया जाएगा।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 15.3.2023)

अन्य राज्यों से 7 प्रतिशत तक महंगी दर पर स्थानीय उत्पाद खरीदेगी राज्य सरकार

उद्योगों को बढ़ावा : विधानसभा में उद्योग, पर्यटन विभाग का बजट पास हुआ। उद्यमी योजना के तहत आठ हजार युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें उद्योग के लिए दिया जाएगा पैसा

बिहार विधानसभा बजट सत्र के दूसरे पाली में उद्योग, अल्पसंख्यक और पर्यटन विभाग का 26.63 अरब रुपए से अधिक का बजट पास हुआ। इसमें उद्योग विभाग का 16 अरब 48 करोड़ 81 लाख रुपए, पर्यटन विभाग का 3.80 अरब और अल्पसंख्यक विभाग का 6.35 अरब रुपए से अधिक का बजट था।

इस दौरान उद्योग विभाग के मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की तुलना में सात प्रतिशत अधिक मूल्य पर भी वस्तुओं के खरीद का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार के सभी विभाग, संस्थान और निकाय द्वारा स्थानीय औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से निर्मित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौड़िक ने प्रदेश के सभी विभाग को पत्र लिखा है।

इस तरह से समझाए खरीदारी का गणित : मंत्री समीर महासेठ ने बताया कि किसी वस्तु की खरीदारी के दौरान अन्य राज्यों से तुलना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अगर अन्य प्रदेशों के बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के किसी उत्पाद की कीमत 100 रुपए है और इसी उत्पाद की कीमत बिहार में 102 रुपए होगी तो सरकार बिहार में बने इस महंगे उत्पाद को ही खरीदेगी। इसी तरह छोटे-उद्योग के उत्पाद की कीमत अन्य प्रदेशों में 100 रुपए और बिहार में 107 रुपए होगी तो राज्य सरकार 107 रुपए वाली वस्तु ही खरीदेगी।

बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा निर्मित समानों को दूसरे राज्य की तुलना में 2% और छोटे उद्योग के उत्पाद को 7% महंगे मूल्य तक खरीद की जा सकेगी।

- पूर्णिया व मुजफ्फरपुर में 16.50 करोड़ से बनेगा खादी मॉल
 - 72 एकड़ में बनेगा लैंड बैंक, 2028 तक बनी पर्यटन नीति
- (विस्तृत : दैनिक भास्कर, 16.3.2023)

करदाता को जब्त किये गये दस्तावेजों व स्टेटमेंट की कॉपी लेने का है अधिकार

- लिखित वाजिब कारण करदाता को बताना भी अनिवार्य
- लंबित विवादों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है

जुलाई 2017 से जीएसटी कानून आने के बाद से ही इसकी जटिलता और समस्याओं को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। अब जीएसटी विभाग की ओर से सर्व और सीजर की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गयी है। ऐसे में करदाता को कई अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें उसे मालूम होना चाहिए। वरीय सीए राजेश खेतान ने बताया कि जीएसटी के तहत व्यावहारिक कठिनाई आने से व्यापारी, प्रोफेशनल सहित विभाग के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है।

उन्होंने करदाता के अधिकारों के बारे में बताया कि उसे जब्त किये गये दस्तावेजों सहित रिकार्ड किये गये स्टेटमेंट की कॉपी लेने का अधिकार है। सर्व पूर्व धारा 67 के अंतर्गत आईएनएस-1 फॉर्म में अधिकारियों को जॉइंट कमिश्नर या उनसे उच्चाधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाना अनिवार्य है। बिना अधिकार के सर्व नहीं की जा सकती है।

खेतान ने बताया कि करदाता के सर्व के दौरान अधिकारियों की जाँच में उचित सहयोग किया जाना अपेक्षित है। यहाँ यह बता दें कि कई मामलों में सर्व के दौरान व्यवसायी को कैश लेजर या फिर डीआरसी - 3 फॉर्म के द्वारा टैक्स जमा करने को बाध्य किया जाता है, जो कि कानून उचित नहीं है।

उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता : सर्व के दौरान



भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ चैम्बर की बैठक



विदेश सेवा के अधिकारियों के साथ चैम्बर के अधिकारियों एवं सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ़।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 28 मार्च 2023 को भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारी सुश्री शुभा कुमारी, श्री अमन अग्रवाल, श्री अमन आकाश, श्री लक्ष्य आनन्द, श्री राज आनन्द एवं श्री अनुराग नयन की प्रवेश कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चैम्बर

पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक हुई।

भारतीय विदेश सेवा के पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्रम् से स्वागत एवं सम्मानित किया गया। बैठक में राज्य के उद्योग एवं व्यापार से संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

स्टॉक व बही-खातों का मिलान किया जाता है और खातों से अधिक स्टॉक पाये जाने पर अधिक स्टॉक को जब्त भी किया जा सकता है। सर्च के समय प्रतिष्ठान में मौजूद करदाता या कर्मचारी का बयान लिया जाता है। साथ ही जब स्टॉक व बही खातों की सूची सर्च के बाद करदाता को दी जाती है। जिसके यहाँ सर्च हुआ है, उसे विभाग में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर विभाग व्यक्तिगत रूप से करदाता की उपस्थिति चाहता है तो उसे इसका लिखित वाजिब कारण करदाता को बताना भी अनिवार्य है। (साभार : प्रभात खबर, 6.3.23)

रोहतास में भी दो अलग-अलग सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जा रहे हैं। रिन्यूबल पर्चेज ऑफिलेशन (आरपीओ) के तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आवश्यक है। बिहार को निश्चित मात्रा में सौर ऊर्जा लेना आवश्यक है। प्रधान सचिव संजीव हंस ने बताया कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार जल्द ही अपना नाम दर्ज कराएगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति सजग होना समय की मांग है। ऊर्जा की बचत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।

पंप स्टोरेज सिस्टम की दिशा में हो रहा प्रयास : पंप स्टोरेज सिस्टम की दिशा में सकारात्मक प्रयास हो रहा है। रोहतास के दुगावती डैम में 30 और फुलवरिया डैम में 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी कार्य प्रगति पर है। सुपौल व दरभंगा में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के माध्यम से ऊर्जा विभाग ने बिजली उत्पादन संग उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 14.3.2023)

एक-दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियाँ वर्षा कर चैम्बर में मनाया गया होली मिलन समारोह

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 4 मार्च 2023 को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया जिसमें एक दूसरे पर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर होली की बधाई दी गई।

चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल ने कहा कि होली आपसी प्रेम एवं एकता का प्रतीक है। होली हमें सारे मतभेदों को भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने की प्रेरणा देती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मस एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से होली के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन कर आपसी मेल-जोल को बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि चूंकि रंग एवं अबीर में कई प्रकार के रसायनों का प्रयोग होने लगा है,

जो शरीर की त्वचा को तो नुकसान पहुँचाता ही है साथ ही साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है तथा जल की भी बर्बादी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए चैम्बर में पर्यावरण के अनुकूल गुलाल, रंग-अबीर रहित फूलों की होली का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि चैम्बर द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में चैम्बर परिवार के सदस्यों के साथ-साथ राज्य के सभी तबके के गणमान्य महानुभावों ने सपरिवार इस समारोह में सम्मिलित होकर एक दूसरे पर फूल की वर्षा कर होली की शुभकामनाएँ दी। समारोह में माननीय उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय विधायक श्री नितिन नवीन, श्री संजीव चौरसिया, श्री नन्द किशोर यादव



माननीय उद्योग मंत्री बिहार श्री समीर कुमार महासेठ का गुलाब की पंखुड़ियों, पगड़ी से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार परवारी।



माननीय उद्योग मंत्री बिहार श्री समीर कुमार महासेठ का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।



माननीय उद्योग मंत्री, बिहार श्री समीर कुमार महासेठ के साथ उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारी एवं सदस्यगण।



नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा से वार्तालाप करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में ई. राकेश कुमार एवं श्री नन्द किशोर।



माननीय विधायक श्री संजीव चौरसिया के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री राजेश जैन, श्री राकेश कुमार एवं अन्य।



माननीय विधायक श्री नितिन नवीन एवं श्री संजीव चौरसिया के साथ चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल एवं सदस्यगण।



सिविकम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद के साथ चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कार्यकारिणी सदस्य श्री आशीष प्रसाद।



चैम्बर सदस्यों का ग्रुप फोटोग्राफ।



माननीय महापौर श्रीमती सीता साहू का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, कार्यकारिणी सदस्य श्री शशि गोयल एवं श्री सुशील कुमार सुंदरका।



माननीय विधायक श्री नन्द किशोर यादव का स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।



समारोह में उपस्थित चैम्बर के पदाधिकारीण एवं सदस्यण।



होली मिलन समारोह में गीत एवं नृत्य का आनन्द लेते अतिथिगण एवं सदस्यण।



कोलकाता से आये कलाकारों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति।



कोलकाता से आये कलाकारों द्वारा गीत एवं नृत्य की प्रस्तुति।



समारोह में ठंडई एवं व्यंजनों का लुक्फ उठाते अतिथिगण एवं सदस्यगण।



समारोह में उपस्थित (दाँये से बाँये) उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विवेक साह एवं श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय।



सेल्फी प्वाइंट पर उपस्थित चैम्बर के सदस्यगण।



सेल्फी प्वाइंट पर भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से सपरिवार पधारे महामंत्री श्री आदित्य विजय जैन एवं श्री संजय जालान। साथ में श्री एम. पी. जैन एवं श्रीमती गीता जैन।

एवं श्री अरुण कुमार सिन्हा, विधान परिषद् सदस्य माननीय श्री ललन कुमार सराफ, सिक्किम के पूर्व राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद, माननीया महापौर श्रीमती सीता साहू, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, बैंक के अधिकारी, अधिवक्ता, डॉक्टर एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने पधारकर चैम्बर परिवार का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि होली मिलन समारोह में आगन्तुकों के लिए होली के पारंपरिक व्यंजनों के साथ-साथ उनके मनोरंजन हेतु तान्या डांस गृप, कोलकाता के कलाकारों ने होली के पारंपरिक गीतों एवं नृत्यों से सभी श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया।

बैंक आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं करे तो रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास करें शिकायत

यदि बैंक आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करे या अनदेखी करे, तो आप रिजर्व बैंक के लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं। रिजर्व बैंक के लोकपाल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। ये शिकायतें रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं यथा-बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों और साथ सूचना कंपनियों जैसी संस्थाओं के ग्राहक कर सकते हैं।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर रिजर्व बैंक के पटना कार्यालय में यह जानकारी रिजर्व बैंक के लोकपाल बिहार राजेश जय कंठ ने दी। उन्होंने कहा कि आरबीआई ने ग्राहकों की शिकायतें दर्ज करने की प्रक्रिया और शिकायत निवारण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नवम्बर 2021 से रिजर्व-एकीकृत लोकपाल योजना की शुरूआत की है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में डिजिटल माध्यमों से बैंकिंग करने की प्रवृत्ति काफी बढ़ी है, उसी अनुपात में धोखाधड़ी में बढ़ोत्तरी हो रही है, जो चिंता की बात है। इसलिए ग्राहकों को अपना खाता संख्या, लॉगिन आइडी, पासवर्ड, पिन,

समारोह में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, कार्यक्रम के संयोजक श्री अजय गुप्ता एवं सह-संयोजक श्री आशीष शंकर, वरीय सदस्य श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री प्रदीप चौरसिया, श्री राजेश कुमार खेतान, श्री सुनील सराफ, श्री सावल राम ड्रोलिया, श्री शशि गोयल, श्री राजेश माखरिया, श्री राजा बाबू गुप्ता, श्री राकेश कुमार, श्री आशीष प्रसाद, श्री आलोक पोद्दार, पवन भगत, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, श्री राजेश जैन के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारी सपरिवार समारोह में सम्मिलित हुए।

ओटीपी, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित विवरण किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना चाहिए।

अनजाने में किसी तरह की धोखाधड़ी हो जाती है, तो ग्राहक तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और यदि बैंक मदद करने में आनाकानी करता है, तो उसके बाद रिजर्व बैंक के लोकपाल में शिकायत करें।

इस तरह कर सकते हैं लोकपाल में शिकायत

रिजर्व बैंक के उप-लोकपाल, बिहार राजेश बरवा ने कहा कि एक आम उपभोक्ता को विनियमित संस्थान यथा बैंक बैंकिंग से संबंधित किसी भी तरह की शिकायतें सबसे पहले उन्हें अपने बैंक में करना चाहिए और 30 दिन प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर बैंक उस शिकायत पर कोई कार्रवाई या समाधान नहीं करता है तो, ग्राहक रिजर्व बैंक के लोकपाल में शिकायत कर सकते हैं।

यह शिकायत रिजर्व बैंक के सीएमएस पोर्टल (<https://cms.rbi.org.in>) पर ऑनलाइन और केन्द्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केन्द्र, चौथी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंटर-17 सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़-160017 को भौतिक रूप से पत्र या पोस्ट के माध्यम से कर सकते हैं।

(साभार : प्रभात खबर, 15.3.2023)



दिनांक 20.01.2023 को सम्पन्न हुई बियाडा के निदेशक पर्षद की 83वीं बैठक की कार्यवाही

कार्यावली संख्या - 05

ईकाईयों के भूआवंटन राशि को निम्नांकित प्रकार से किस्तों में लेने का निर्णय लिया गया :-

Sl. No.	Land Cost	Initial Payment	Balance Payment	No. of Instalments	Period	Total Period
1	Less than 50 lacs	40%	20%	3	6 Months	2 Years
2	0.5-2.5 Crores	35%	13%	5	6 Months	3 Years
3	2.5 - 7.5 Crores	30%	10%	7	6 Months	4 Years
4	More Than 7.5 Crores	25%	7.5%	10	6 Months	5.5 Years

कार्यावली संख्या - 08

पर्षद द्वारा निर्णय लिया गया कि जीविका समूह के आवाटियों को प्रति आवंटी 1000 वर्ग फीट अधिकतम 15 वर्षों के लिए औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में केला एवं केला के रेशा से उत्पादन होने वाली सामग्री हेतु भूमि का आवंटन किया जायेगा, जिसका दर निम्नवत् रहेगा :-

i	- 1 वर्ष के लिए	- 1 रु. प्रति वर्ग फीट मासिक।	iii	- 03 वर्ष के लिए	- 3 रु. प्रति वर्ग फीट मासिक।
ii	- 02 वर्ष के लिए	- 2 रु. प्रति वर्ग फीट मासिक।	iv	- 04 वर्ष से 15 वर्ष तक	- 6 रु. प्रति वर्ग फीट मासिक।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत

दिनांक 15.03.2023 को सम्पन्न हुई बियाडा के निदेशक पर्षद की 84वीं बैठक की कार्यवाही

कार्यावली संख्या - 3

Regarding amendment in Clause- 8 of the BIADA Land Allotment Policy, 2022 and approval on the draft amended Allotment letter.

Clause 8 Issuance of Allotment Letter

- b. ii. The time frame of Initiation of Construction work start of trial and full commercial production and the time frame shall be made as annexures to the allotment letter

Annexure : 3A - Time Frame of Initiation of construction work start of trial and full commercial production

1. Initiation of construction work start of trial and full commercial production shall be adhered to as per the time frame given below.

Sl. No.	Industry Category	Project Milestones	Investment (in Plant & Machinery)
1	Micro Units	Trial production- 9 months Commercial production - 12 months	Upto INR 1 Crore
2	Small Units	Trial production- 12 months Commercial production - 18 months	INR 1 Crore to INR 10 Crores
3	Medium & Large Units	Trial production- 18 months Commercial production - 24 months	Medium : INR 10 Crores to INR 50 Crores Large : INR above 50 Crores

कार्यावली संख्या - 06

बियाडा के अंतर्गत क्लस्टरों के पुनर्गठन के संबंध में

बियाडा के नये संरचना के अंतर्गत कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित क्लस्टरों के पुनर्गठन करते हुए इन क्लस्टरों के अंतर्गत निम्न प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक प्रांगण ग्रोथ सेन्टर किया जाता है :-

Sl. No.	Name of the Cluster	Related Industrial Area/ Estate/Growth Centre
1	Patna-1	IA Patliputra, IA Fatuha and IE Biharsharif
2	Patna-2	IA Buxar, IA Bihiya, IGC Gidha, IA Bihta, MIP Bihta, IA New Bihta, IA Kopakal, IA Sikandarpur, IA Nawanager, IA Dumraon
3	Muzaffarpur-1	IA Muzaffarpur, IE Muzaffarpur
4	Muzaffarpur-2	IA Bettiah, IA Kumarbagh, IA Ramnagar, IA Raxaul, IA Sitamarhi, IA Mahbal, IA Bariyarpur, IA Damodarpur, IA Korra, IA Panapur, IA Dumaria, IA Bishunpur Dhram.
5	Darbhanga	IE Bela, IE Dharampur and IA Donar, IA Jhanjharpur, IA Lohat Phase-I, Lohat Phase-II, Lohat Phase -III, IA Pandaul, IA Sakri, IA Samastipur
6	Bhagalpur, Saharsa and Purnea	LIE Barari, IE Lakhisarai, IE Murliganj, MGC Udaykishanganj, IA Saharsa, Baijnathpur, IA Supaul, IA Forbesganj, IE Katihar, IA Bhediadangi, IA Khagara, IA Banmankhi, IE Purnea City, IGC Maranga



7	Gaya	IA Aurangabad, IGC Aurangabad, IE Barun, IA Gaya, IA Guraru, IE Jehanabad, IA Nawada, IA Warsaliganj, IA Dehri, IA Bikramganj, IA Sasaram
8	Hajipur	IA Hathua Phase- I, IA Hathua Phase-II, IA New Siwan Phase-I, IA New Siwan Phase-II, IA Siwan, EPIP Hajipur, IA Hajipur, IA Garaul Phase-I, IA Garaul Phase-II
9	Begusarai	IGC Begusarai, IA Barauni, IGC Khagaria, IA Gogri, IA Jamalpur, IA Sitakund, IE Munger

Project Clearance Committee (P.C.C.) Meeting held on 06th March 2023, Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA)

Plot Allotment details (Applications received between 24th Feb. to 3rd Mar, 2023

MORE THAN 20000 SQFT

S. No.	Company Name	Industrial Area	Plot No.	Product	Land Requirement (sqft.)	Recommendation of PCC
1	SAHARSA WOMEN JEEVIKA PRODUCER COMPANY LTD	Industrial Area Bajnathpur, Saharsa	C3	Wheat Flour, Multigrain Flour, Suji, Maida and Others	42009	Recommended
2	M/S ARUDEEP AGRO PRIVATE LIMITED	Industrial Area Bettiah, West Champarn	A-8	BOILED RICE	32670	Recommended
3	M/S NIT ZONE	Industrial Estate, Biharsharif, Nalanda	NS-P-1	ONLINE EXAMINATION CENTRE, CALL CENTRE, DESIGN & DEVELOPMENT OF SOFTWARE AND MEETING & CONFERENCE HALL FOR IT'S SECTOR	87120	Plot no.-NS-(A) is recommended
4	M/S Edif Medical System	Industrial Area, Pandaul	101 P (II); 103; 105; 107 P (I)	Soft Geletin Capsules, Tablets, Injectables, Chemicals, Medical Devices, etc	87120	Recommended

Applications Upto 20K

1	Mr. Sachin Kumar	Industrial Area, Fatuha	F-41 Phase III	Sattu (Food Processing)	5000	Recommended
2	M/s Shree Balajee Polymers	Industrial Area, Hajipur, Vaishali	C-1P, D-83	LLDP Granules	5400	Plot No.- D-83 is recommended
3	M/s Metro Automobiles Parts Industries	Industrial Estate, Barun	P-23 (P-1)	Automobile rubber Parts	5000	Recommended
4	M/s Vishnu Enterprises	Industrial Area, Nawada	E-2	Daal Mill	5000	Recommended
5	M/s BONPOLY INDUSTRIES (OPC) PRIVATE LIMITED	Industrial Estate, Barun	P-19	Manufacturing of HDPE Pipes	10000	Deferred as prime owner was absent
6	M/s Sai Enterprises	Industrial Area, Nawada	E-8	Computer Cabinet, Computer Accessories, UPS & Other Electronics items Assembling & Manufacturing Unit of Electrical Goods	5000	Not recommended
7	M/s E.N. Construction Corporation LLP	Industrial Area, Muzaffarpur	D-21	Paper Plate, Cup, Dona Manufacturing and ACP Sheet	10890	Not recommended



Project Clearance Committee (P.C.C.) Meeting held on 15th March 2023, Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA)

Plot Allotment details (Applications received between 4th March to 10th March, 2023)

Applications MORE THAN 20000 SQFT

S. No.	Company Name	Industrial Area	Plot No.	Product	Land Requirement (sqft.)	Recommendation of PCC
1	M/S RP Polypet Private Limited	Industrial Area, Hajipur, Vaishali	B-19 (Phase-2)	Plastic Bottle	21780	Conditional Recommendation subject to EMD payment
2	M/s Sheram Lab	Industrial Area, New Siwan- Phase-1, Siwan	D2	Pharma/ Drugs	43561.55	Absent hence Deferred
3	M/s RPF Poultry Feeds Pvt. Ltd	Industrial Area, Bariyarpur, Phase-1	I. P-48D (P-2)	Poultry Feeds	87120	Deferred, He has been suggested to explore IA, Damodarpur (Mega food park)

Applications Upto 20000 SQFT

S. No.	Company Name	Industrial Area	Plot No.	Product	Land Requirement (sqft.)	Recommendation of PCC
1	M/s Ajay Food Products	Industrial Area, Nawada	E-8	Namkeen Bhujia, Mixture, Kurkure & Puff	5000	Recommended
2	M/s BABA Enterprises	Industrial Estate, Murliganj, Madhepura	Shed B-1 & Shed-B2 & Open Land	Spices/ Masala Processing Unit	3168	Recommended
3	M/s Gauri Pickles Enterprises	Industrial Estate, Murliganj, Madhepura	Shed B-10	Pickles Manufacturing Unit	704	Recommended
4	M/s Raj Laxmi Timber	Industrial Area, Baijnathpur, Saharsa	A16, A17	Manufacturing All type of Wooden & Metal Furniture	10,000	Recommended
5	M/s Divyadrishti Feeds Pvt. Ltd	Mega Food Park, Industrial Area, Damodarpur	31	Poultry Feeds	10,000	Plot No : IP- 5 & IP-6 having area 10,000 sqft at IA, Damodarpur is recommended
6	M/s Shiv Sunder Agrovet	Mega Food Park, Industrial Area, Damodarpur	27, 28	Nutritional Additive for Animal Feed & Poultry Feed, Aqua Feeds etc	20,000	Recommended
7	M/s Puja Enterprises	Industrial Area, Sitamarhi	NS-10	Steel Almirah, Gate Grill, Tractor, Trailor and General Fabrication Work	8100	Recommended
8	M/s Hind Sanjeevani	Industrial Area, New Siwan- Phase-1, Siwan	A2	Cattle Feed	5000	Deferred (Need to check whether applicant is MMUY applicant)
9	M/s Mohi Industries	Industrial Area, Hajipur, Vaishali	C-1P, D-83	Bread, Bakery Biscuits and namkeen	5400	Deferred (required plot not available)
10	M/s A. C. Enterprises	Industrial Area, Donar	B19 P(II)	Spices/ Masala Processing & Packaging Unit	6534	Not Recommended
11	M/s Furniture Ghar	Industrial Area, Bikramganj, Rohtas	B-1 (P-II) & B-2 (P-I)	Wooden Furniture (Customized)	6000	Recommended



BIHAR ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
Existing, Proposed and Approved Retail Tariff (Without Govt Subsidy) for NBPDCL and SBPDCL Area for FY2023-24

SCHEDULE OF TARIFF RATES

	Category/Sub category of Consumers	Existing Tariff			Proposed Tariff			Approved Tariff		
		Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs
A LOW TENSION SUPPLY										
1 Domestic										
1.1	Kutir Jyoti	Rs. 10/ Month/Connection	As per DS-I or DS-II	0-50 units Above 50 units	Rs. 20/Month/Connection	As per DS-I or DS-II	0-50 units Above 50 units	Rs. 20/Month/Connection	As per DS-I or DS-II	0-50 units Above 50 units
1.2	DS-I	Rs. 20/kW or part/month	Rs. 6.10/unit	0-50 51-100 Above 100	Rs. 8.66/unit	Rs. 10/kW/month	Rs. 8.66/unit	Rs. 40/kW or part/month	Rs. 7.57/unit	Rs. 7.57/unit
1.3	DS-II (Demand based)	Rs.40/kW or part/month	Rs. 6.10/unit	1-100 101-200 Above 200	Rs. 9.28/unit	Rs. 10/kW/month	Rs. 9.28/unit	Rs. 80/kW or part/month	Rs. 8.11/unit	Rs. 8.11/unit
1.4	DS-III (Demand based) (Optional)	Rs.40/kW or part/month	Rs. 8.05/unit	All units	Rs. 10.35/unit	Rs. 100/kW/month	Rs. 10.35/unit	Above 100	Rs. 9.10/unit	Above 100
2 Non-Domestic										
2.1	NDS-I Rural (Metered)	Rs. 30/kW or part/month	Rs. 6.40/unit	1-100 101-200 Above 200	Rs. 8.66/unit	Rs. 100/kVA/month	Rs. 9.09/unit	1-100	Rs. 60/kW or part/month	Rs. 7.94/unit
		Rs. 7.55/unit	Rs. 7.00/unit		Rs. 10.34/unit	Rs. 100/kVA/month	Rs. 10.34/unit		Rs. 8.36/unit	Above 100
	NDS-II (Demand based)									
2.2	NDS-II Contract Load upto 0.5 kW	Rs.100/month/connection	Rs. 6.35/unit	All Units	Rs. 200/month/connection	Rs. 9.02/unit	All Units	Rs. 200/month/connection	Rs. 7.88/unit	All Units
	NDS-II Contract demand above 0.5 kW upto 70kW	Rs. 180/kW or part/month	Rs. 6.35/unit	1-100 101-200 Above 200	Rs. 100/kW/month	Rs. 9.02/unit	1-100 Above 100	Rs. 300/kW or part/month	Rs. 7.88/unit	1-100 Above 100
3 Irrigation and Agriculture Services (Connected load based)										
3.1	IAS-I (Unmetered)	Rs.80/HP or part/month	-		Rs.1600/HP /month	-		Rs.1500/HP or part/month	-	
3.2	IAS-II (Metered)	Rs.30/HP or part/month	Rs.5.55/unit	All Units	Rs.100/HP /month	Rs.7.88/unit	All Units	Rs.100/HP or part/month	Rs.6.89/unit	All Units
3.3	IAS-III (Metered)	Rs.240/HP or part/month	Rs.5.90/unit	All Units	Rs.500/HP kVA/month	Rs.8.38/unit	All Units	Rs.500/HP or part/month	Rs.9.08/unit	1-100 Above 100
4 Low Tension Industrial (Demand Based ,kVA/H)										
4.1	LTS-I	Rs.144/kVA or part/month	Rs. 6.40/kVAh	All Units	Rs.300/kW/month	Rs. 9.09/kVAh	All Units	Rs.288/kVA or part/month	Rs.7.94/kVAh	All Units
4.2	LTS-II	Rs.180/kVA or part/month	Rs. 6.40/kVAh	All Units	Rs.400/kW/month			Rs.360/kVA or part/month	Rs.7.94/kVAh	All Units
5 Public Water Works (Demand based kVAH)										
5.1	PWW	Rs.315/kVA or part/month	Rs.7.95/kVAh	All Units	Rs.630/kVA or part/month	Rs.11.29/kVAh	All Units	Rs.630/kVA or part/month	Rs.9.87/kVAh	All Units
5.2	Har Gar Nal	Rs.40/HP or part/month	Rs.6.70/unit	All Units	Rs.100/HP or part/month	Rs.9.51/kWh	All Units	Rs.100/HP or part/month	Rs.8.31/kWh	All Units
6 LT Electrical Vehicle Charging Stations										
		Rs.7.15/kVAh	All Units		Rs.10.15/kVAh	All Units		Rs.8.87/kVAh	All Units	



Category/Sub category Of Consumers	Fixed charge	Existing Tariff			Proposed Tariff			Approved Tariff		
		Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Fixed charge	Energy Charge	Unit slabs	Unit slabs
7 Street Light Services										
7.1 SS-Metered	Rs 50/kW or part/month	Rs.7.40/Unit	All Units	Rs 100/kW/month	Rs.10.15/kWh	All Units	Rs 100/kW or part/month	Rs.9.18/Unit	All Units	All Units
7.2 SS-Unmetered	Rs 375/100W or part/month	-		Rs.7500/kW/month	-	-	Rs 750/100W or part/month	-		
B HIGH TENSION – General										
1 HTS-I	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.55/kVAh	All Units	Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.30/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.13/kVAh	All Units	All Units
2 HTS-II	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.50/kVAh	All Units	Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.23/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.07/kVAh	All Units	All Units
3 HTS-III	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.45/kVAh	All Units	Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.16/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.00/kVAh	All Units	All Units
4 HTS-IV	Rs.300/kVA/Month	Rs.6.40/kVAh	All Units	Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.09/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.94/kVAh	All Units	All Units
C HIGH TENSION SUPPLY-INDUSTRIAL SERVICE										
1 HTS-I				Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.30/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.13/kVAh	All Units	All Units
2 HTS-II				Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.23/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.07/kVAh	All Units	All Units
3 HTS-III				Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.16/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.8.00/kVAh	All Units	All Units
4 HTS-IV				Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.09/kVAh	All Units	Rs.550/kVA/Month	Rs.7.94/kVAh	All Units	All Units
5 HTSS (33kV)				Rs. 1400/kVA/Month	Rs.5.82/kVAh	All Units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.09/kVAh	All Units	All Units
6 HTS-I (Oxygen manufacturers) (11kV)	Rs.700/kVA/Month	Rs.4.10/kVAh	All Units	Rs.1200/kVA/ Month	Rs.6.39/kVAh	All Units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.58/kVAh	All Units	All Units
7 HTS-I (Oxygen manufacturers) (33kV)	Rs.600/kVA/Month	Rs.4.50/kVAh	All Units			All Units	Rs.1000/kVA/Month	Rs.5.52/kVAh		
8 RTS(132kV)	Rs.280/kVA/Month	Rs.6.70/kVAh	All Units	Rs. 600/kVA/Month	Rs.9.51/kVAh	All Units	Rs.520/kVA/Month	Rs.8.31/kVAh	All Units	All Units
HT Electrical Vehicle Charging Stations		Rs.6.45/kVAh	All Units		Rs.9.16/kVAh	All Units		Rs.8.00/kVAh	All Units	All Units



चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में नये सत्र के कम्प्युटर कोर्स प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों के चयन हेतु इन्टरव्यू



कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थी का इन्टरव्यू लेते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं कम्प्युटर एक्सपर्ट।



कम्प्युटर प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में इन्टरव्यू देने आए अभ्यर्थीगण। साथ में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं एक्सपर्ट।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉर्मर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र में नये सत्र हेतु प्रारम्भ होने वाले कम्प्युटर कोर्स

बियाडा में मुजफ्फरपुर की जमीन रेलवे से कराई जाएगी खाली

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की मुजफ्फरपुर के बेला स्थित औद्योगिक क्षेत्र की जमीन रेलवे से खाली करायी जाएगी। उद्योग विभाग ने रेलवे के यत्र-तत्र बिखरे हुए सामान को हटाकर उसे खाली कराने का निर्णय लिया है। ताकि, भूमि आवंटन की मांग करने वाले उद्यमियों को खाली भूमि आवंटित की जा सके। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरीक ने बियाडा की भूमि आवंटन प्रक्रिया की समीक्षा के क्रम में मुजफ्फरपुर स्थित भूमि को खाली कराने का निर्देश दिया है।

बेला में 292 फैक्ट्रियाँ संचालित थीं : 2018 तक मुजफ्फरपुर के बेला में 292 फैक्ट्रियाँ संचालित थीं। इनमें 55 फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थीं।

“मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे के बिखरे सामान को हटाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जल्द ही इसे उद्यमियों के उपयोग के लिए दे दिया जाएगा।”

— दिलीप कुमार, विशेष सचिव, उद्योग विभाग, पटना।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.3.2023)

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 50% टैक्स माफ़

महिलाओं को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे आई है। 2023-24 बजट में राज्य में अगर कोई महिला अपने नाम पर कॉर्मर्शियल वाहन खरीदती है और उनके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस है, तो टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, महिला के नाम पर निर्बंधित होता है और उसका चालन स्वयं उस महिला या अन्य महिला, जिसके पास व्यावसायिक चालन अनुज्ञाप्ति है, के द्वारा किया जाता है; तो उसके लिए वाहन कर में शत-प्रतिशत छूट दी गई है। वहीं राज्य सरकार द्वारा सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैट्री चालित यान/इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। निजी डीजल चालित बसों को सीएनजी चालित बसों से प्रतिस्थापित करने के लिए अनुदान स्वरूप कुल 3.75 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। (साभार : दैनिक भास्कर, 1.3.2023)

मैसेज कीजिए, घर आकर स्मार्ट मीटर रिचार्ज करेंगे एजेंट

स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता अब कंपनी की मदद से अपने स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करवा सकते हैं। बिजली कंपनी ने एक नई सुविधा ऑरेंज एप शुरू की है। इससे उपभोक्ता घर बैठे मीटर रिचार्ज और बिजली बिल जमा कर सकते। यह योजना पटना समेत साउथ बिहार के जिलों में शुरू की गई है।

मीटर रिचार्ज करने के लिए मोबाइल नंबर 6262642222 जारी किया गया है। इस नंबर पर उपभोक्ता संछार मैसेज करना होगा। इसके बाद एजेंट आपके घर रिचार्ज करने के लिए पहुँच जाएँगे। आप रिचार्ज का पैसा चेक, नगद या डिजिटल माध्यम से दे सकते हैं। उपभोक्ताओं को 24 घंटे यह सेवा मिलेगी। पोस्टपेड मीटर वाले उपभोक्ता भी बिजली बिल जमा करना चाहते हैं तो ऑरेंज एप की मदद ले सकते हैं। उन्हें भी घर पर सेवा मिलेगी। इसका सीधा लाभ ऑनलाइन रिचार्ज नहीं कर पाने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 17.3.2023)

बाढ़, बक्सर थर्मल पावर स्टेशन से 2640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा

बिहार में भविष्य में एनटीपीसी के बाढ़ थर्मल पावर स्टेशन एवं सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के बक्सर थर्मल पावर स्टेशन की दो-दो निर्माणाधीन इकाइयों से लगभग 2640 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादित होगी।

राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट के अनुसार बरौनी एवं कांटी स्थित ताप विद्युत केन्द्रों को एनटीपीसी को सौंप दिया गया है। साथ ही, नवीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी में बिहार के पूर्ण अंश पूंजी को भी एनटीपीसी को हस्तांतरित किया गया है। इन परियोजनाओं से उत्पादन प्रारंभ है व बिहार को इसका लाभ मिल रहा है। वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों में औसत 23-24 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 21-22 घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। बिजली की अधिकतम मांग की आपूर्ति, जो जुलाई 2021 में 6627 मेगावाट थी वह अगस्त, 2022 में बढ़कर 6738 मेगावाट तक पहुँच गयी है। (विस्तृत : हिन्दुस्तान, 1.3.23)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary